चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0 / 785
दिनांक : 17.12.2019

प्रेस विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति संख्या–गोप0 / 727, दिनांक 23.11.2019 द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे महाविद्यालयों / संस्थानों, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों के आन्तरिक अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड नही किये थे, उन्हें दिनांक 24.06.2019 से 26.11.2019 तक उनका पोर्टल खोला गया था किन्तु उक्त के बावजूद भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी0एड0 प्रथम वर्ष के कॉलेज कोड–435, 601, 705 व 761 तथा बी0एड0 द्वितीय वर्ष के कॉलेज कोड–003, 047, 172, 252, 424, 435, 442, 436, 508, 509, 551, 595, 598, 601, 634, 675, 705, 709, 710, 758, 761, 775, 778, 811, 861, 866, 884, 904, 915, 1027, 1085 तथा 1086 के महाविद्यालयों / संस्थानों के विद्यार्थियों के परीक्षाफल घोषित नही किये जा पा रहे हैं। माननीय कुलपति जी ने इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया है, तथापि विद्यार्थियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे बी0एड0 महाविद्यालयों / संस्थानों को जिन्होंने अपने विद्यार्थियों के आन्तरिक अंक अपलोड नही किये हैं अथवा किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है, उनको एक अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

अतः माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त बी0एड0 महाविद्यालयों / संस्थानों को पुनः एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निदेशित किया जाता है कि वे अपने विद्यार्थियों के आन्तरिक अंक प्रत्येक दशा में विलम्बतम दिनांक 18.12.2019, 19.12.2019 व 20.12.2019 तक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अवश्य अपलोड कर दें, अन्यथा की दशा में विश्वविद्यालय ऐसे महाविद्यालयों / संस्थानों के विरूद्ध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के अधिनियम–1973 की संगत धाराओं के अन्तर्गत सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने के लिये स्वतन्त्र होगा।

17.12.19
परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि :–

1. व्यैक्तिक सहायक–कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक–प्रति कुलपति को प्रति कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
2. व्यैक्तिक सहायक–कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. व्यैक्तिक सहायक–परीक्षा नियन्त्रक को परीक्षा नियन्त्रक महोदय के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र / वेबसाईट, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
5. प्रेस प्रवक्ता को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त प्रेस विज्ञप्ति को सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
6. प्रतिनिधि, आउटसोर्स एजेन्सी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त बी0एड0 महाविद्यालय / संस्थानों को निर्बाध लिंक प्रदान करना सुनिश्चित करें।

उप कुलसचिव (गोपनीय)